उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या /VIII/16–680(श्रम)/2002T.C II
देहरादून : दिनांक 04 जून, 2016 जुलाई

12, 13 (60)

## अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) 2005, में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

## उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन)(संशोधन)नियम 2016

**संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ**

1. (1) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) (संशोधन)नियम 2016 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

**नियम 282 का संशोधनः–** मूल नियमावली के नियम 282 के उपनियम (4) के बाद उपनियम (5) एंव उपनियम (6) निम्नवत जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात्–

नियम–282(5) : सौर ऊर्जा सहायता योजना– इस योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों द्वारा आवेदन किये जाने पर सोलर लालटेन उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता–

(1) सभी रजिस्ट्रीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे।

(2) किसी भी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा ( पति/पत्नी, आश्रित माता–पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री)।

हितलाभ–

(1) सोलर लाइट/लालटेन (LED/CFL) मिलेगी एवं रख–रखाव/सर्विस चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क करना होगा।

(2) किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हों तो भी।

**नियम–282(6): सन्निर्माण श्रमिकों को बारिश तथा धूप से बचाव हेतु छाता उपलब्ध कराया जाना–** इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों द्वारा आवेदन किये जाने पर उन्हें छाता उपलब्ध कराई जाएगी।

**पात्रता–**

(1) सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे।

(2) किसी भी अन्य योजना में उपरोक्त लाभ न प्राप्त किया हो।

**हितलाभ–**

(1) किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 835 /VIII/16–680(श्रम)/2002 T.C II तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जिला–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त संशोधित नियमावली को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ उत्तराखण्ड शासन एवं 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी॰एन॰पन्त)
उप सचिव।